

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आअदालत

उपखण्ड अधिकारी

राजगढ़ (चूल्)

मुकाम

राजेश कुमार

बनाम सरकार

किस्म मुकदमा

दावा

नं.

184

सन्

2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तामील में जारी हुकम
14/9/20	<p>श्रावण प्रहारा अन्तर्गत चारा 88 R.T. Act. व 136 L.R. Act. का कार्यालय रिपोर्ट होकर (पेश हुआ) श्रावण प्रहारा दर्ज राजस्तर हो। तस्वीलदार राजगढ़ जॉच रिपोर्ट ली जाकर मिसल दिनांक 8.10.20 को पेश हो।</p>	
8/10/20	<p>वकूलाय फरीकैन उपस्थित। श्रीमान एस.डी. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं। मिसल दिनांक 01-12-20 को पेश हो।</p>	<p>अधिकारी राजगढ़ (चूल्)</p>
21/20	<p>दिनांक 1-12-20 को मृत्यु दिवस अचारा होने के कारण मिसल आज पेशी में ली गई।</p>	
21/20	<p>वकील फतकारान उपस्थित। वकील अधिकारी महोदय चुनाव कार्य में व्यस्त हैं मिसल दिनांक 15-1-21 को पेश हो।</p>	
15/21	<p>वकूलाय फरीकैन उपस्थित श्रीमान एस.डी.ओ. साहब मुख्यालय से बाहर हैं मिसल दिनांक 11-3-21 को पेश हो जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। शामिल मिसल रहे।</p>	
11/3/21	<p>वकील प्राणी उपस्थित। बहस सुनी गई। प्वावली का श्रावण प्रहारा। वादी ने प्रहारा अन्तर्गत चारा 88 R.T. Act. व 136 L.R. Act. के तहत इस आशय का पेश किया कि कुछ भूमि खण्ड नं 160 ताडाडी 4.38 ई० रोही दरपात्र रामचन व कुछ भूमि खण्ड नं 171/67 ताडाडी 1.63 ई० रोही मोंजा</p>	

